राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2022 निगरानी

1. बरकत खां पुत्र हुसैन खां पठान (मृतक के बजाय कामय मुकामान)
   1/1 जैबून पत्नी बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला –भीलवाड़ा
   1/2 जाकिर पुत्र बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेडा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/3 सद्दाम पुत्र बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/4. बबलु पुत्र बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/5. बिलाल पुत्र बरकत खां, निवासी मोड का निम्बाहेडा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाडा
   1/6. कमरून पुत्री बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/7. मेहरून पुत्री बरकत खा. निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/8. खैरूनिशा बानू पुत्री बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
   1/9. रूबिना बानू पुत्री बरकत खां, निवासी–मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला–भीलवाड़ा
2. शरीफ खां पुत्र श्री हुसैन खां पठान, निवासी–मोडका निम्बाहेडा, तहसील आसींद, जिला–भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. फारूख वल्द शहाबुद्दीन पठान, निवासी–नई आबादी, लुहारिया, तहसील माण्डल, जिला–भीलवाड़ा
2. शहनाज पुत्री शहाबुद्दीन पठान पत्नि घीसु पठान, निवासी संजयनगर, विजयनगर, जिला–अजमेर
3. जायदा पुत्री शहाबुद्दीन पठान पत्नि दिलदार पठान, निवासी–कुंजा का खेडा, तहसील–माण्डल, भीलवाडा
4. शब्बीर मोहम्मद वल्द मोहम्मद हनीफ नीलगर, निवासी मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला भीलवाड़ा
5. इशरतजहां पत्नि गुलाम नबी नीलगर, निवासी– मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील–आसींद, जिला भीलवाडा
6. ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा, जरिये सरपंच साहब, ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील आसींद, जिला–भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

17.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा पट्टा संख्या 72 दिनांक 10.11.1996

उपस्थित – श्री भैरूलाल गुर्जर, अधिवक्ता निगराकार
श्री दिनेश सिसोदिया, गैर निगराकार–1 व 3 की ओर से
श्री सत्यनारायण सोमाणी, गैर निगराकार–4 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– /04/2026

निगराकारान द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 से 3 के पिता शहाबुद्दीन वल्द लाल खां पठान को गैर निगराकार संख्या 6 ने ग्राम मोड का निम्बाहेड़ा के आबादी हल्का में जरिये पत्रावली संख्या 72 संवत 2018 से पट्टा संख्या 72 दिनांक 10.11.1996 नपति 50 फिट बाई 60 फिट निःशुल्क बापी पट्टे मिलीभगती पर देने में कानूनी व वाकयाति भूल की है जो पट्टा निरस्त होने योग्य है। वास्तव में उक्त विवादित भूखण्ड पूर्व में ही निगराकारान के पिता हुसैन खां पिता लाल खां पठान निवासी मोड का निम्बाहेड़ा को जरिये मिसल संख्या 32 संवत 2018 दिनांक 20.7.1961 नपति 50 फिट बाई 60 फिट का नजराना राशि 20 रूपये शुल्क रोकड पाना 17 पर जमा कर बापी पट्टे पर दिया जिस पर निगराकारान के पिता हुसैन खां के जीवनकाल में उनका तथा उनकी मृत्यु के बाद आज तक निगराकारान बहैसियत मालिक होकर काबिज हो उपयोग उपभोग में ले रहे हैं जिसके तत्कालीन पडौस – पूर्वः–पंचायत की भूमि/गली, पश्चिमः– आम रास्ता, उत्तरः–लक्ष्मीलाल पाराशर, दक्षिणः–पंचायत की पडत भूमि। तथा वर्तमान पडौस :– पूर्वः–पंचायत की भूमि/गली, पश्चिमः– आम रास्ता, उत्तरः–युसुफ मोहम्मद, दक्षिणः–नानूराम मंसूरी। तत्कालीन पडौसान के अनुसार उत्तर दिशा के मालिक लक्ष्मीलाल द्वारा युसुफ मोहम्मद को एवं दक्षिण दिशा में पंचायत द्वारा नानूराम मंसूरी को पट्टा जारी करने से तत्कालीन व वर्तमान पडौस में अन्तर आया। गैर निगराकार संख्या 1 से 3 ने उक्त फर्जी व अवैध पट्टे की आड़ में गैर निगराकार संख्या 4 व 5 को आधा–आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 28.8.2015 को विकय कर दिया जिसके द्वारा निगराकारान के उक्त भूखण्ड पर जबरन उक्त फर्जी व अवैध पट्टे एवं पंजीबद्ध विक्रयपत्रों के आधार पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया इस कारण यह निगरानी पेश करने की नौबत आई है। गैरनिगराकारान संख्या 1 से 3 के पिता के पक्ष में जारी उक्त निगरानीधीन पट्टा प्रथम दृष्टया देखने से ही फर्जी व कूटरचित एवं अवैध साबित होता है क्योंकि उक्त विवादित पट्टे को पत्रावली संख्या 72 संवत 2018 से जारी होना बताया है जो संवत आज से 60 साल पूर्व का है तथा इसी विवादित पट्टे को जारी होने की दिनांक 10.11.1996 अंकित है जिस दिनांक को संवत 2053 ही चल रहा था अर्थात 25 साल पूर्व। इस प्रकार उक्त विवादित पट्टा प्रथम दृष्टया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ही देखने से फर्जी व कूटरचित दिखता है । ऐसा गैरनिगराकारान संख्या 1 से 3 के पूर्वज शहाबुद्दीन ने मात्र निगराकारान की पट्टाशुदा जगह को हड़पने की गरज से फर्जी पट्टा तैयार करते समय निगराकारान के पट्टे के अनुसार संवत 2018 अंकित कर पट्टे को सही रूप देने का असफल प्रयास किया। इस कारण मात्र से ही यह पट्टा अवैध एवं फर्जी एवं कूटरचित होने से निरस्त होने योग्य ही नहीं है अपितु इस फर्जीवाड़े व कूटरचना के लिए न्यायालय श्रीमान् की ओर से भी गैरनिगराकारान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कराया जाना न्यायोचित है। गैर निगराकारान के पूर्वज शहाबुद्दीन के पक्ष में जारी उक्त फर्जी एवं अवैध पट्टे से पूर्व किसी प्रकार की कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी ना ही आपत्ति मांगी गयी ना ही मौका देखा गया अगर मौका देखा जाता तो उक्त भूखण्ड पर निगराकारान का कब्जा की जानकारी होती। इस प्रकार उक्त पट्टा ग्राम पंचायत व शहाबुद्दीन ने मिलीभगत कर जारी किया ,उक्त विवादित पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई मिसल कायम नहीं है इस तथ्य की जानकारी स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा निगराकारान के आवेदन पर दिनांक 08.10.2015 को निगराकारान को जानकारी दी की उक्त विवादित पट्टे का रेकॉर्ड नहीं है, एवं निगराकारान द्वारा दुबारा सूचना के अधिकार के तहत् ही इस विवादित पट्टे की जानकारी ग्राम पंचायत से मांगी गयी तो दिनांक 4.12.2021 को ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि उक्त सूचना निगराकारान से संबंधित नहीं होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। इस प्रकार इन तथ्यों से भी स्पष्ट है कि गैरनिगराकारान आपस में मिले हुए है। नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम करने से पूर्व स्थल निरीक्षण एवं मौका रिपोर्ट तैयार करने का शुल्क 25 रूपये जमा करवाना आवश्यक होता है लेकिन इस प्रकरण में उक्त विवादित पट्टे हेतु उक्त राशि जमा नहीं करवायी गयी है। पत्रावली कायम करने के पश्चात् सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक हे तथा उसके बाद 03 वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट तैयार करवाना आवश्यक होता है लेकिन प्रकरण में ना तो पट्टा जारी करने से पूर्व सचिव द्वारा मौका देखा गया ना ही तीन वार्डपंचों की कमेटी का गठन ही किया गया, इस कारण आलोच्य से पट्टा नियम विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है । पंचायतराज अधिनियम में बने नियमों के अनुसार पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह का अनापत्तिपत्र जारी किया जाना आवश्यक है तथा गांव में ढूंढी पिटवाकर आम शोहरत में पट्टा जारी करने की सूचना जारी किया जाना आवश्यक है लेकिन विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्तिपत्र जारी नहीं किया गया ना कोई ढूंढी पिटवाई गयी। इस कारण आलोच्य पट्टा निरस्त होने योग्य है। विवादित पट्टे पर सरपंच एवं सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर होना आवश्यक है लेकिन विवादित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है एवं सरपंच के हस्ताक्षर भी फर्जी है तथा वादग्रस्त पट्टा निःशुल्क जारी किया गया हे जबकि पंचायतीराज नियमों के तहत् निःशुल्क पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण आलोच्य पट्टा अवैध होकर निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम मोड का निम्बाहेड़ा द्वारा जरिये पत्रावली संख्या 72 संवत 2018 पट्टा संख्या 72 दिनांकित 10.11.1996 को फर्जी, कूटरचित व अवैध होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.4.26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या 04 के प्रस्तुत जवाब अनुसार विपक्षी सं. 01 लगायत 03 के पिता शाहबुद्दीन को ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेडा ने पट्टा पूरी तरह नियमों के अनुसार ही जारी किया है तथा पट्टा जारी करने के पश्चात् स्वामित्व प्रमाण पत्र क्रमांक 2015/1 दिनांक 15.08.2015 को जारी किया है। ऐसी स्थिति में पट्टा किसी प्रकार नियमों के विपरीत नही है। निगराकार के पिता हुसैन खां को कोई पट्टा दिनांक 20.07.1961 को जारी नहीं किया गया है। तथाकथित पट्टा पूरी तरह फर्जी एवं शाहबुद्दीन की जायदाद को हडपने की नियत से तैयार किया गया है। निगराकारान का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा जवाबदाता विपक्षी द्वारा क्रय किये गये भू–भाग पर जवाबदाता विपक्षी का चला आ रहा है तथा शेष भू–भाग पर विपक्षीगण का कब्जा है। शाहबुद्दीन को पट्टा नियमानुसार जारी किया है इस कारण विपक्षी सं. 01 लगायत 03 ने विपक्षी सं. 04 एवं 05 को आधा–आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र विक्रय किया है तथा विक्रय करने के पश्चात् विपक्षी सं. 04 एवं 05 काबिज है। शाहबुद्दीन को जारी किया गया पट्टा पूरी तरह नियमों के अनुसार ही जारी किया गया है तथा पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है इस कारण जारी किया गया पट्टा किसी प्रकार अपास्त होने योग्य नही है। उक्त जायदाद के सम्बंध में विपक्षी सं. 04 शब्बीर मोहम्मद द्वारा निगराकारान के विरूद्ध शाहबुद्दीन की पटेशुदा जायदाद में से जो आधा हिस्सा शब्बीर मोहम्मद द्वारा क्रय किया गया के आधार पर एक स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र सिविल न्यायाधीश महोदय, आसीन्द के यहां प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 39/2015 ई.दी. है तथा उक्त वादपत्र में प्रतिवादी/निगराकार की और से जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया वह निगरानी में वर्णित तथ्यों के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया तथा इस सम्बंध में सिविल न्यायालय में तनकी भी कायम की गई कि शाहबुद्दीन को पट्टा जारी किया गया वह सही है या नहीं और इस सम्बंध में शाहबुद्दीन जारी किये गये पट्टे को सही मानते हुए विपक्षी सं. 04 शब्बीर ने जो जायदाद क्रय की उसके आधार पर विपक्षी सं. 04 का वादपत्र डिक्री किया गया तथा शाहबुद्दीन के पट्टे को सिविल न्यायलय ने सही माना प्रतिवादी/निगराकार के द्वारा जो आक्षेप पट्टे के सम्बंध में लिये गये उन्हे नही मानते हुए पट्टे को सही माना है ऐसी स्थिति में चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित कर शाहबुद्दीन को जारी किये गये पट्टे को सही माना है। ऐसी स्थिति में इस निगरानी में जो आधार लिये गये है वह किसी प्रकार न्यायसंगत नही है तथा सिविल न्यायालय के निर्णय के मुकाबले चलने योग्य नही है तथा निगरानी निगराकार खारिज होने योग्य है। अतः सादर निवेदन है कि निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 28.08.2015 को विक्रय कर दिया गया था। प्रश्नगत पट्टे की निगरानी मियाद बाहर एवं इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने

17.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निगराकार सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपराक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी खारिज की जाती है अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेडा प.स. आसींद जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा